मुकदमा नं 59 / सन 2024

आदेश	कार्यवाही विवरण	कैफियत
30.08.2024	आवेदक के वकील उपस्थित । रिपोर्ट आर0ए0 हो चुकी है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे । विद्वान अधिवक्ता ने मय शपथ पत्र के इस अनुरोध पर की प्रकरण अतिआवश्यक प्रकृति का है तथा आवेदक के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जाएगा। आवेदकगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर सुना गया आवेदकगण का कथन है कि अनावेदकगण उक्त भूमि को बेचान, रहन, मुन्तकिल , जबरन कब्जा कर निमार्ण व बेदखल करने पर आमादा है। अतः अनावेदकगण जबरन लाठी के जोर से प्रश्नगत भूमियों में आवेकगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें, बेचान, रहन, कब्जा, निर्माण नहीं करें , मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थना पत्र की अत्यावश्यकता व तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि आगामी तारीख पेशी तक अनावेदकगण ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 0.89 हैं. में मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन रास्ता, बैंक ऋण वसूली, विद्युत कनेक्शन एवं नामांतकरण बाबत् अप्रभावी रहेगा। आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदकगण को नोटिस की तामील की सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अनावेदकगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित कर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। जिन भी स्थितियों में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, में परिवर्तन की दिशा में आदेश वैकेट अन्यथा संशोधित कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनाकं 30.09.2024 को पेश हो। (मोनिका सामोर) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	
17/9/24	पत्रावली प्रार्थीया चुका देवी द्वारा प्रस्तुत प्र०प० मिसल तलबी एवं विड्रो करने का पेश किये जाने पर तलब की गई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीया के मुख्त्यार ने आदेशिका पर हस्ताक्षर इस बाबत, किये कि वे प्रकरण को इसी स्तर पर नोटप्रेस/विड्रो	प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विड्रो करवाई

करवाना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा जरिये
अधिवक्ता प्रस्तुत प्रा० प० स्वीकार किया
जाकर प्रा० प० अस्थाई निषेधाज्ञा को
इसी स्तर पर विड्रो किया जाता है।
पत्रावली फैसल मुताबिक होकर नम्बर
से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)

Scanned with OKEN Scanner